

स्वीकृति पत्र सह उपक्रम

दिनांक:

उधारकर्ता ग्राहक आईडी:

बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट (बीसी) का नाम : द्वारा ई-रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड _____

उधारकर्ता का नाम	
सह-उधारकर्ता का नाम - 1	
उधारकर्ता का पता:	
सह-उधारकर्ता-1 पता	

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: मुख्य नियमों और शर्तों सहित स्वीकृति पत्र

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रति आपके सहयोग/संरक्षण के लिए धन्यवाद। आपके अनुरोध, आपसे हुई चर्चाओं तथा समय-समय पर आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दस्तावेजों/प्रतिनिधित्वों के आधार पर, हमें सहमत नियमों और शर्तों (T&C) पर ऋण/क्रेडिट सुविधाओं/सीमा की स्वीकृति सूचना देते हुए प्रसन्नता है।

कृपया संपूर्ण स्वीकृति पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें "मुख्य तथ्य विवरण" (KFS), क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल तथा स्वीकृति पत्र और ऋण अनुबंध/दस्तावेजों में उल्लिखित डिफॉल्ट की घटना शामिल हैं।

इस स्वीकृति पत्र को आपके द्वारा तुरंत स्वीकार/हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है और यह स्वीकृति पत्र की तारीख से केवल 30 दिनों की अवधि के लिए वैध है। यदि स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाती है, तो इसे केवल बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर, आपके खर्च पर पुनः मान्य किया जा सकता है और बैंक स्वीकृति पत्र की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन कर सकता है।

उधारकर्ता यह समझते और स्वीकार करते हैं कि यह ऋण सुविधा शिवालिक बैंक द्वारा अपने बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट

द्वारा ई-रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से स्वीकृत की गई है और बैंक अपने बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट के सभी चूक और कमीशन/कृत्यों के लिए उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के प्रति उत्तरदायी है। स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप KFS, क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल और डिफॉल्ट की घटना सहित सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार कर रहे हैं। यह स्वीकृति पत्र आपको या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कारण से बैंक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के नुकसान/क्षतिपूर्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

स्वीकृति पत्र स्वीकार हो जाने के बाद, आपको ऋण अनुबंध/दस्तावेजों/ फॉर्म/क्षतिपूर्ति पत्र/अंडरटेकिंग, जैसा लागू हो, पर हस्ताक्षर/निष्पादन करना होगा ताकि ऋण/क्रेडिट सुविधाओं/सीमा का वितरण प्राप्त किया जा सके। बैंक को लागू शुल्क और प्रभार प्राप्त होने आवश्यक हैं। ऋण/क्रेडिट सुविधाओं/सीमा के वितरण से पहले सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएँ/दस्तावेजीकरण पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, आपको कोई भी दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

1. ऋण/क्रेडिट सुविधाओं/सीमा के वितरण/रिलीज़ के लिए बैंक को निम्नलिखित की आवश्यकता है "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी) दस्तावेज और ऐसी अन्य शर्तें, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) या लागू कानून (कानूनों) के तहत आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज अथवा बैंक द्वारा निर्धारित की जाएँ, आपको पालन करना होगा।
2. उचित रूप से हस्ताक्षरित/अधिकृत नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) ई-एनएसीएच जनादेश और आवश्यक संख्या में पोस्ट-डेटेड चेक (पीडीसी), या स्थायी निर्देश पत्र (एसआई) या ईसीएस "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक" के पक्ष में।

यदि आप जीएसटी के लिए इनपुट क्रेडिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी लेनदेन की शुरुआत से पहले बैंक को एक वैध जीएसटी नंबर समय से उपलब्ध कराएँ। कृपया ध्यान दें कि जीएसटी चालान केवल प्राथमिक आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा।

स्वीकृति पत्र के अनुसार नियम और शर्तें और ऋण समझौते/दस्तावेजों/प्रपत्रों/क्षतिपूर्ति/उपक्रम के अनुसार नियम और शर्तें बैंक द्वारा परिवर्तनों के अधीन हैं, जिनमें आरबीआई के किसी भी दिशानिर्देश/नियामक परिवर्तन/वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन की जा सकती हैं।

उल्लिखित सभी शुल्क और शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं और गैर-वापसी योग्य हैं। बैंक को आपके ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा से आवेदन के समय देय सभी अवैतनिक शुल्क, ऋण प्रसंस्करण, प्रलेखन शुल्क, विलंबित भुगतान के लिए अतिदेय शुल्क, सामग्री नियम और शर्तों का अनुपालन न करने के लिए अतिदेय शुल्क, संग्रह शुल्क आदि की वसूली/कटौती करने का अधिकार है।

मुख्य तथ्य कथन

मुख्य तथ्य कथन		
क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1	ग्राहक का नाम	
2	ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या/सीआईएफ	
3	ऋण का प्रकार	सावधि ऋण
4	चरणों में संवितरण अनुसूची संवितरण या 100% अग्रिम	100% अग्रिम
5	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)	
6	शुद्ध वितरित राशि	
7	ऋण अवधि (महीनों में)	
8	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)	
किस्त विवरण		

किस्त का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (ईएमआई शुरू होने की तिथि)
*ईपीआई की गणना एक महीने में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी			
10	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	24% प्रति वर्ष तय	

11	ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी				
संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R= (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें (महीने)	'आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव, में बदलें।
एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए

12	शुल्क/शुल्क				
		एक बार/ पुनरावृत्ति	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक बार/आवृत्ति	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
I)	प्रोसेसिंग शुल्क + जीएसटी	एक बार			
II)	दस्तावेजीकरण शुल्क + जीएसटी	एक बार			
III)	बीमा शुल्क	एक बार			

13	आकस्मिक शुल्क का विवरण (रुपये या % में, जैसा लागू हो)	
I)	अतिदेय शुल्क, यदि कोई हो, देरी से भुगतान के मामले में	अतिदेय राशि पर 12% प्रति वर्ष
II)	स्टॉप शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
III)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो	एनए
IV)	प्रकाशन शुल्क	एनए
V)	कानूनी नोटिस शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
VI)	कोई अन्य शुल्क (बाउंस शुल्क)	शून्य

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)		
1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए कृपया खंड "22 देखें" ऋण समझौते के "वसूली एजेंट की नियुक्ति"
2	ऋण समझौते का खंड/दस्तावेज जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देते हैं	शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया खंड "23" देखें ऋण समझौते/दस्तावेजों के "सामान्य नियमों और शर्तों का शिकायत निवारण"
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया खंड "23" देखें ऋण समझौते/दस्तावेजों के "सामान्य नियमों और शर्तों का शिकायत निवारण"
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)	एनए
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	

मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ	साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ	मिश्रित ब्याज दर
एनए	एनए	एनए
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं	
i) आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा		एनए
ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण		एनए

एपीआर की गणना

क्र. नं.	प्राचल	विवरण
1.	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)	
2.	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में)	
a)	गैर-समान (नॉन-इक्वेटेड) आवधिक ऋण के मामले में मूलधन (प्रिंसिपल) के भुगतान के लिए किश्तों (इंस्टॉलमेंट्स) की संख्या	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (जैसे, मासिक किश्तों के मामले में, ईएमआई की संख्या)	मासिक
c)	पूँजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो,	-
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	स्थायी
4.	ब्याज दर	24%PA, फ्लैट

5.	ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि, स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार (रुपये में)। यह महीने में दिनों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगा	
6.	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
A.	आरई के लिए देय	
B.	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
7.	शुद्ध वितरित राशि	
8.	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	
9.	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
10.	नियम और शर्तों के अनुसार संचित/वितरण की अनुसूची	100% अग्रिम
11.	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	हर महीने का

I hereby confirm that I/We have read, understood, and accepted all terms, conditions, and loan details as contained in the loan documents in the language in which the Bank has provided the forms. I/We further agree and requests that all future notices, communications, and correspondence relating to the loan be issued by the Bank in the same language as the loan documents provided. ☐ Yes ☐ No.

मैं यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण दस्तावेजों में निहित सभी नियम, शर्तें और ऋण संबंधी विवरण पढ़, समझ और स्वीकार कर लिए हैं। मैं/हम ग्राहक आगे यह भी सहमति देते हैं/देता/देती है और अनुरोध करते हैं/करता/करती है कि ऋण से संबंधित सभी भावी सूचनाएँ, संचार और पत्राचार बैंक द्वारा ऋण दस्तावेजों में दी गई भाषा में ही जारी किए जाएँ ☐ हाँ ☐ नहीं

स्वीकृत नियम और शर्तें (टी एंड सी)

- कृपया स्वीकृति पत्र में "क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल" और ऋण समझौते/दस्तावेजों में "डिफॉल्ट की घटना" को ध्यान से देखें।
- स्वीकृति पत्र के अनुसार सभी टी एंड सी, ऋण (ओं) दस्तावेजों/प्रपत्रों/क्षतिपूर्ति/अंडरटेकिंग, जैसा भी लागू हो, "सामग्री" हैं और नियम और शर्तों का अनुपालन न करने को आपके द्वारा "डिफॉल्ट की घटना" माना जाएगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ "अतिदेय शुल्क", संग्रह और वसूली शुल्क और ऋण/ऋण सुविधाओं पर ऋण जोखिम प्रीमियम में वृद्धि को आकर्षित कर सकता है। बैंक कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकता है।
- बैंक को ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के संचालन की निरंतर आधार पर समीक्षा करने और आपसे कुल बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करने का अधिकार है।
- यदि आपको किसी भी कारण से अतिरिक्त ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा की आवश्यकता है, तो बैंक अतिरिक्त ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा आवश्यकताओं के लिए आपकी आवश्यकता को मंजूरी देने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है।
- यदि मासिक आराम के साथ "दैनिक आधार" पर ब्याज लिया जाएगा। जब भी देय हो, समय पर, बिना किसी देरी के, आपको मूलधन, ब्याज और सेवा शुल्क, ईएमआई, दैनिक/मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/द्वि साप्ताहिक किस्त का भुगतान करना होगा, ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा चुकानी होंगी और ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के संबंध में अपने सभी दायित्वों को पुनर्भुगतान अनुसूची/शर्तों के अनुसार समय पर बिना किसी देरी या विलंब के पूरा करें।
- आपके द्वारा बैंक को किए गए सभी भुगतान बिना किसी कटौती या सेट ऑफ या प्रतिदावे के किए जाएंगे।
- आप तुरंत और बिना किसी देरी के बैंक को घर, निवास या कार्यालय या व्यवसाय के स्थान या कारखाने या दुकान या गोदाम या संपर्क नंबर के पते में बदलाव के बारे में सूचित करेंगे।
- आपको बैंक से ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा प्राप्त करने से पहले/दौरान या बाद में किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान से आपके द्वारा लिए गए किसी भी ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा के बारे में बैंक को सूचित करना आवश्यक है।
- आप पुष्टि करते हैं कि आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी (मौखिक या लिखित रूप में)/कथन/दस्तावेज सभी मामलों में सत्य और सही हैं। यदि आपके या आपके प्रतिनिधि या आपके एजेंट या आपके सह-उधारकर्ता, या गारंटर द्वारा प्रदान की गई ऐसी कोई जानकारी/दस्तावेज भ्रामक, गलत या असत्य पाए जाते हैं, जिसके आधार पर बैंक द्वारा ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा स्वीकृत की गई थी, तो बैंक को स्वीकृति पत्र को रद्द करने का अधिकार है। अपने विवेकाधिकार पर किसी भी समय, बैंक को आंशिक रूप से या पूरी तरह से मंजूरी को बदलने, कम करने, वापस लेने, रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार है, या ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा को वापस लेने का अधिकार है, यदि अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की राय में (i) स्वीकृति पत्र के किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन न होने की स्थिति में; (ii) वित्तीय स्थिति में कोई प्रतिकूल परिवर्तन या कानूनी कार्यवाही या मुकदमेबाजी (iii) बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए धन का दुरुपयोग या धन का उपयोग या ऐसी कोई घटना जिससे आपको स्वीकृत ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा या किसी अन्य जानकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- बैंक अपने विवेकाधिकार पर और बिना किसी दायित्व के, ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा से आपके द्वारा जारी किए गए चेक/भुगतानों का सम्मान करने से इनकार कर सकता है, यदि बैंक की राय में चेक/भुगतान बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

11. यह ऋण मूल्यांकन के आधार पर संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी के बिना दिया जाता है।
12. आप स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग "उद्देश्य"/"अंतिम उपयोग" के अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके लिए ऋण/ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं।
13. बैंक को यह अधिकार है कि वह स्वीकृति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अस्वीकार, नकार, परिवर्तित, कम, रोक, वापस, रद्द या निलंबित कर सके, या आगे किसी भी वितरण को रोक सके/अस्वीकार कर सके/मना कर सके, अथवा संपूर्ण ऋण/क्रेडिट सुविधाएं/सीमा वापस मांग सके। आपके द्वारा देय कुल बकाया राशि की वसूली के लिए, बैंक को कोई भी अन्य कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकती है।
14. नीचे दिए गए कारणों के कारण "क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल" में परिवर्तन/गिरावट सहित (जहां भी लागू हो) तक सीमित नहीं है:
 - a. पुनर्भुगतान में देरी
 - b. सीमा से अधिक के नियमितीकरण में देरी,
 - c. चेक की वापसी/एनएसीएच/ईसीएस (जावक/आवक),
 - d. सुविधाओं के नवीनीकरण के लिए दस्तावेज जमा करने में देरी,
 - e. किसी अन्य ऋण/ऋण सुविधाओं/बैंक या किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों के साथ सीमा में "क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल" में गिरावट उदाहरण एनपीए
 - f. आपका नाम किसी भी नकारात्मक सूची (आरबीआई, ईसीजीसी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), ईडी आदि) में दिखाई दे रहा है।
 - g. ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा का उपयोग जिस प्रयोजन के लिए इसे स्वीकृत किया गया था (उदाहरण के लिए धन का दुरुपयोग)
 - h. आपके/सह-आवेदकों/गारंटर्स द्वारा अतिरिक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है और बैंक को सूचित नहीं किया गया है।
 - i. कोई अन्य मामला जो पुनर्भुगतान क्षमता, समयबद्धता आदि को प्रभावित करने की संभावना है।
15. आप पुष्टि करते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही लंबित नहीं है और आरबीआई की चेतावनी सूची/डिफॉल्टर सूची/नकारात्मक सूची में नहीं है और किसी भी एलईए द्वारा जांच के अधीन नहीं है।
16. आप पुष्टि करते हैं कि ऋण की किस्तों के किसी भी भुगतान के लिए, आप केवल शिवालिक बैंक के अधिकृत व्यक्तियों या बैंक द्वारा नियुक्त बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करेंगे।
 आप स्वीकार करते हैं कि Customer ID हमारे साथ आपके सभी खातों के लिए अद्वितीय है। आपका खाता आपको आपके द्वारा चुने गए खाता प्रकार के आधार पर कई प्रकार की विशेष सेवाएं प्रदान करता है। हमारे उत्पादों और सेवाओं, नियमों और शर्तों और शुल्कों की अनुसूची के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट <https://shivalik.bank.in> पर स्थानीय भाषा में उपलब्ध है।
17. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आप बैंक को पूर्ण सहयोग देंगे और बैंक को आपके व्यवसाय के स्थान आदि का निरीक्षण/लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।
18. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आपके द्वारा प्राप्त ऋण/ऋण सुविधाएं/सीमा विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत तनावग्रस्त परिसंपत्ति पर आरबीआई के निर्देशों द्वारा शासित होती है, विशेष रूप से निर्धारित ऋण सुविधा समझौता।
19. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि यदि आप किसी भी कारण से ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा की मंजूरी को रद्द करने का अनुरोध करते हैं या यदि बैंक किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने के लिए ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा को रद्द कर देता है, तो आप रद्दीकरण शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क के लिए उत्तरदायी होंगे जो बैंक ने मंजूरी देने में खर्च किया है। यदि आपके द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो बैंक को आपसे इसे वसूलने का अधिकार है।
20. क्रेडिट-लिंक्ड इश्योरेंस (यदि आपके द्वारा चुना गया है)
 1. आप बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की सीमा तक क्रेडिट-लिंक्ड बीमा का लाभ उठाने के लिए सहमत होते हैं और बैंक के पक्ष में बीमा पॉलिसी का समर्थन करने के लिए सहमत होते हैं। बीमा कवर और प्रीमियम का विवरण आपको बैंक या उसके प्रतिनिधियों/बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट द्वारा समझाया गया है।
 2. बैंक ऋण राशि से लागू बीमा प्रीमियम काट सकता है और इसे आपकी ओर से बीमा कंपनी को भेज सकता है। बीमा कवर बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी के अनुमोदन और जारी करने पर ही प्रभावी होगा।
 3. आपकी मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता द्वारा बीमा दावा स्वीकार किए जाने के अधीन, बैंक पहले बकाया ऋण के लिए दावे की आय को उचित करेगा। कोई भी शेष राशि, यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी के अनुसार आपके नामांकित व्यक्ति को जारी की जाएगी।
 4. बैंक दावों के अनुमोदन, अस्वीकृति या निपटान के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है, जो पूरी तरह से बीमा कंपनी के विवेक पर होगा।
 आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मूलधन/ब्याज/शुल्क/प्रभार के भुगतान के लिए या ई-एनएसीएच/एनएसीएच/एसआई/ईसीएस/पीडीसी जमा करने के लिए नोटिस भेजने में बैंक की विफलता किसी भी बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण के रूप में काम नहीं करेगी।
21. "क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल" में परिवर्तन/गिरावट के मामले में, जब तक बैंक के साथ किसी भी ऋण/ऋण सुविधाओं/सीमा (आपकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों आदि सहित) के तहत आपसे बैंक को कोई भी पैसा देय है, तब तक बैंक के पास ग्रहणाधिकार/प्रभार और आपके क्रेडिट बैलेंस, नकद, जमा आदि से वसूली/सेट ऑफ करने का अधिकार है। आप सहमत हैं कि बैंक को आपकी अनुमति/सहमति प्राप्त करने या आपको कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

22. बैंक द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफलता, या इसके तहत या किसी अन्य समझौते (करारों) / दस्तावेजों / प्रपत्रों के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में देरी क्षतिपूर्ति/उपक्रम आदि बैंक के अधिकार को माफ करने के समान नहीं होगा और न ही कोई एकल या आंशिक प्रयोग उस अधिकार के भविष्य के किसी भी प्रयोग को रोकेगा।

मैं/हम एतद्वारा केएफएस (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता) सहित स्वीकृति पत्र में नियम एवं शर्तों की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं

विवरण	पूरा नाम	दस्तखत
कर्जदार		
सह-उधारकर्ता - 1		

सामान्य नियम और शर्तें – असुरक्षित कृषि और संबद्ध ऋण

- ऋण**
बैंक ऋण प्रदान करने के लिए सहमत है और उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट ऋण प्राप्त करने के लिए सहमत है, केवल उसमें बताए गए कृषि या संबद्ध उद्देश्यों के लिए। धनराशि का कोई भी दुरुपयोग इस अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।
- असुरक्षित सुविधा**
यह एक असुरक्षित ऋण है। इसके लिए बैंक के पक्ष में कोई संपार्श्विक, बंधक, प्रभार, ग्रहणाधिकार या कोई अन्य सुरक्षा हित नहीं बनाया गया है या आवश्यक नहीं है सुविधा। उधारकर्ता के दायित्व पूरी तरह से व्यक्तिगत वाचा और पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होते हैं।
- ब्याज**
ऋण में मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट दर पर ब्याज होगा, जिसकी गणना 365/366-दिन-वर्ष के आधार पर मासिक विश्राम पर की जाएगी। फ्लोटिंग दर के मामले में, बैंक उधारकर्ता को उचित सूचना के साथ अपनी नीति या नियामक परिवर्तनों के अनुसार दर में बदलाव कर सकता है। पूर्ण पुनर्भुगतान या फौजदारी तक ब्याज अर्जित होगा।
- संवितरण**
बैंक ऋण का वितरण एकल किश्त में करेगा। ब्याज संवितरण की तारीख से अर्जित होगा। वैधता अवधि के बाद अनिकाली गई राशि रद्द की जा सकती है। बैंक इस या किसी अन्य सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी बकाया राशि को वितरित धन के खिलाफ सेट ऑफ कर सकता है।
- चुकौती**
उधारकर्ता ईसीएस, स्थायी अनुदेशों, या बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी तरीके के माध्यम से मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य बकाया राशि का पुनर्भुगतान करेगा। बैंक अपने विवेक से पुनर्भुगतान शर्तों को संशोधित या पुनर्निर्धारित कर सकता है, और उधारकर्ता तदनुसार पुनर्भुगतान जनादेश को अपडेट करेगा।
- पूर्व भुगतान**
उधारकर्ता ऋण का पूर्व भुगतान कर सकता है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, केवल बैंक की पूर्व लिखित सहमति के साथ और लागू पूर्व भुगतान शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर।
- पूर्व शर्तें**
संवितरण सभी पूर्व-संवितरण शर्तों की पूर्ति, संतोषजनक दस्तावेज़ीकरण, और पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित करने वाले डिफॉल्ट या प्रतिकूल परिवर्तन की अनुपस्थिति के अधीन होगा।
- उधारकर्ता अनुबंध**
उधारकर्ता समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगा, पुनर्भुगतान खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा और तुरंत संपर्क या खाता विवरण अपडेट करेगा। सभी कर, शुल्क और शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। उधारकर्ता अंतिम उपयोग का प्रमाण प्रदान करेगा और किसी भी सत्यापन या पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में सहयोग करेगा।
- अभ्यावेदन और वारंटी**
उधारकर्ता इस समझौते को निष्पादित करने के लिए कानूनी क्षमता की पुष्टि करता है और प्रदान की गई सभी जानकारी और दस्तावेज सत्य, पूर्ण और भ्रामक नहीं हैं। संयुक्त उधारकर्ताओं की देयता, यदि कोई हो, संयुक्त और कई होगी। ये अभ्यावेदन पूर्ण पुनर्भुगतान तक वैध रहते हैं।
- डिफॉल्ट की घटनाएँ**
बकाया राशि का भुगतान न करने, शर्तों का उल्लंघन, गलत जानकारी प्रस्तुत करने, दिवालियापन, मृत्यु, या पुनर्भुगतान क्षमता को बाधित करने वाली किसी भी घटना पर डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट होने पर, बैंक तत्काल पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है, दंड शुल्क लगा सकता है, और वसूली या कानूनी कार्यवाई शुरू कर सकता है।

11. क्रॉस डिफॉल्ट

बैंक या अन्य ऋणदाताओं के साथ किसी भी अन्य सुविधा के तहत चूक इस समझौते के तहत चूक होगी।

12. उपचार

डिफॉल्ट करने पर, बैंक ऋण वापस ले सकता है, कानूनी तरीकों से बकाया राशि की वसूली कर सकता है, और कानून के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। उपचार संचयी और निरंतर हैं।

13. सुरक्षा-कवच

उधारकर्ता अपनी लागत पर, बैंक को सौंपी गई ऋण राशि को कवर करने वाली एक क्रेडिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसी बनाए रखेगा। बैंक ऋण राशि से प्रीमियम काट सकता है। दावा निपटान बीमाकर्ता के विवेक के अनुसार होगा; किसी भी कमी को उधारकर्ता या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा वहन किया जाएगा।

14. प्रकटीकरण

उधारकर्ता बैंक को आरबीआई, सिबिल, क्रेडिट ब्यूरो, नियामकों, सहयोगियों और सेवा प्रदाताओं के साथ ऋण और पुनर्भुगतान जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करता है। डिफॉल्ट की रिपोर्ट की जा सकती है और भविष्य की क्रेडिट पात्रता को प्रभावित कर सकती है।

15. नियुक्ति

बैंक उधारकर्ता की सहमति के बिना ऋण को असाइन कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है या प्रतिभूतिकरण कर सकता है। उधारकर्ता बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अधिकार या दायित्व नहीं सौंपेगा।

16. क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी उल्लंघन, गलत बयानी या डिफॉल्ट से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों, दावों या खर्चों से सुरक्षित रखेगा।

17. भुगतान का विनियोग

जब तक बैंक द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, भुगतान निम्नलिखित क्रम में लागू किया जाएगा: ब्याज, मूलधन, पूर्व भुगतान शुल्क, और अन्य शुल्क या व्यय।

18. अधित्याग-पत्र

किसी भी अधिकार का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक छूट के रूप में काम नहीं करेगी जब तक कि स्पष्ट रूप से लिखित रूप में न किया जाए।

19. प्रभावी तिथि

यह समझौता निष्पादन की तारीख से प्रभावी होता है और तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी बकाया राशि पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती।

20. सूचना की सेवा

किसी भी नोटिस या संचार को विधिवत रूप से दिया जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से, कूरियर, पंजीकृत पोस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऋण दस्तावेजों में निर्दिष्ट पते या ईमेल पर वितरित किया जाता है।

21. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। बैंक की शाखा के स्थान पर न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। विवादों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बैठे एकमात्र स्वतंत्र मध्यस्थ द्वारा जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार अंतिम और बाध्यकारी होगा।

22. रिकवरी एजेंट की नियुक्ति

- उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक या उसका व्यवसाय प्रतिनिधि, बैंक के विवेकाधिकार पर, ऋण या किसी भी बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए एक वसूली एजेंट नियुक्त कर सकता है। बैंक उधारकर्ता को पूर्व सूचना के बिना वसूली एजेंट को असाइन करने, पुनः असाइन करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- नियुक्त वसूली एजेंट के पास यह अधिकार होगा:
 - बैंक की ओर से उधारकर्ता से मूलधन, ब्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित अतिदेय राशि एकत्र करें।
 - बैंक से अनुमोदन के अधीन, उधारकर्ता द्वारा बकाया किसी भी बकाया राशि पर बातचीत करें, समझौता करें या निपटान करें।
- लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सुरक्षित संपत्ति के कब्जे सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं कानूनी या अन्य कार्यवाई शुरू करें।
- उधारकर्ता बैंक द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट के साथ सहयोग करने और वसूली की सुविधा के लिए वसूली एजेंट द्वारा अनुरोधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता वसूली एजेंट को किसी भी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा।

- e. वसूली एजेंट वसूली गतिविधियों के प्रदर्शन में भारतीय रिज़र्व बैंक (या संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि बैंक और वसूली एजेंट गोपनीयता बनाए रखेंगे और वसूली कार्यवाई करते समय नैतिक मानकों का पालन करेंगे।
- f. कानूनी शुल्क सहित वसूली प्रक्रिया के संबंध में बैंक और/या वसूली एजेंट द्वारा की गई सभी उचित लागत और खर्च, उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और बकाया राशि में जोड़े जाएंगे।

23. शिकायत निवारण

प्रिय उधारकर्ता, यदि आपको कोई शिकायत या शिकायत है, तो कृपया हमारे कस्टमर केयर प्रतिनिधि से संपर्क करें, या अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाएं। आप अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए शाखा में उपलब्ध शिकायत बॉक्स या शिकायत प्रपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायतें अनुसूली रहती हैं, तो कृपया निम्नलिखित वृद्धि मैट्रिक्स का उपयोग करें: (हिंदी में)

स्तर 1: शाखा प्रबंधक / फोन बैंकिंग नंबर / ग्राहक सेवा केंद्र

कृपया अपने निकटतम शाखा कार्यालय में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1800-202-5333 पर हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी से संपर्क करें या customercare@shivalikbank.com को एक ईमेल भेजें

स्तर 2: नोडल अधिकारी

यदि आप शाखा/फोन बैंकिंग/कस्टमर केयर सेंटर से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपको 7 कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो आप नीचे दिए गए पते और संपर्क विवरण पर नोडल अधिकारी को कॉल या लिख सकते हैं:

नोडल अधिकारी	
नोडल अधिकारी का नाम:	रूपेश त्यागी
	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	2 मंजिल, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नं. ए 6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
संपर्क विस्तार से:	0120-4060011
ईमेल आईडी:	grievance@shivalikbank.com

स्तर 3 : प्रधान नोडल अधिकारी

यदि आप नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपको 7 कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो कृपया इसे नीचे दिए गए पते और संपर्क विवरण पर प्रधान नोडल अधिकारी को भेजें:

प्रधान नोडल अधिकारी	
नोडल अधिकारी का नाम:	जयत्री सिंह
	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	2 मंजिल, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नं. ए 6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
संपर्क विस्तार से:	0120-4060012
ईमेल आईडी:	pno@shivalikbank.com

हमारे प्रधान नोडल अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जांच के लिए और समय की आवश्यकता होती है, तो प्रतिक्रिया देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता के बारे में बताते हुए शिकायत को स्वीकार किया जाएगा।

24. A. लिंकड सेविंग अकाउंट को बंद करना (यदि लागू हो)

"उधारकर्ता इसके द्वारा बैंक को, लागू कानून और नियामक दिशानिर्देशों के अधीन, ऋण के संबंध में खोले गए या नामित बचत खाते को पूर्ण पुनर्भुगतान और ऋण खाते के बंद होने पर बंद करने के लिए अधिकृत करता है, जब तक कि उधारकर्ता इस तरह के बचत खाते को जारी रखने के लिए बैंक को लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं करता है। इस तरह के लिखित अनुरोध के अभाव में, बैंक ग्राहणाधिकार के अपने अधिकार का प्रयोग करने और ऋण और/या किसी अन्य सुविधाओं या दायित्वों के तहत उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय किसी भी बकाया राशि के समायोजन के लिए लिंकड बचत खाते के क्रेडिट में पड़ी किसी भी शेष राशि को उचित बनाने का हकदार होगा। चाहे मौजूदा, भविष्य, वास्तविक या आकस्मिक।

इस तरह के विनियोग के बाद शेष कोई भी अधिशेष राशि उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी, और उसके बाद लिंकड बचत खाता बैंक की नीतियों के अनुसार बंद कर दिया गया, बिना किसी और कार्य, विलेख या उधारकर्ता से पुष्टि की आवश्यकता के।

B. लिंकड सेविंग अकाउंट को जारी रखने का विकल्प (यदि लागू हो)

"जहां उधारकर्ता ऋण खाते को बंद करने के बाद लिंकड बचत खाते को जारी रखना चाहता है, उधारकर्ता ऋण खाते को बंद करने से पहले या उसके समय बैंक को एक स्पष्ट और स्पष्ट लिखित अनुरोध प्रदान करेगा।

लिंकड सेविंग अकाउंट को जारी रखना बैंक की मौजूदा नीतियों के अधीन होगा, जो जमा खातों पर लागू होती हैं, किसी भी आवश्यक दस्तावेज को पूरा करते हैं, और लागू कानूनों, नियमों और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश भी शामिल हैं। बैंक ऐसी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार खाते को जारी रखने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. संपत्ति का निर्धारण:

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 नवंबर, 2021 को "आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों - स्पष्टीकरण" पर अपनी अधिसूचना के अनुसार, उधारकर्ता निम्नलिखित ऋण वर्गीकरण संरचना को नोट करेगा:

वर्गीकरण	डीपीडी बकेट रेंज	विवरण
एसएमए-0	30 दिनों तक	यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए दिनांत प्रक्रिया (Day-End Process) से पूर्व संपूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय (Overdue) की तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। ऐसे खाते को 31 मार्च 2021 को SMA-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	उपर्युक्त स्थिति को जारी रखते हुए, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को दिनांत प्रक्रिया चलाए जाने पर, अर्थात् लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने के पश्चात, इसे SMA-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	उपर्युक्त स्थिति को जारी रखते हुए, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो 30 मई 2021 को दिनांत प्रक्रिया चलाए जाने पर, अर्थात् लगातार 60 दिनों तक अतिदेय रहने के पश्चात, इसे SMA-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA)	90 दिनों से अधिक	उपर्युक्त स्थिति को जारी रखते हुए, यदि खाता आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो 29 जून 2021 को दिनांत प्रक्रिया चलाए जाने पर इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक बार जब कोई खाता NPA बन जाता है, अर्थात् वह लगातार 90 दिनों तक अतिदेय रहता है, तो वह NPA के रूप में ही वर्गीकृत रहेगा जब तक कि सभी अतिदेय राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता* और उसका DPD (Days Past Due) शून्य नहीं हो जाता। किसी भी आंशिक भुगतान से NPA की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
*अतिदेय राशि पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार देय ब्याज या मूलधन और ब्याज है		

किसान द्वारा घोषणा

मैं, _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____

एकड़ कृषि भूमि का किसान/बटाईदार/पट्टेदार हूँ।

मैं पुष्टि करता हूँ कि उठाए जा रहे ऋण की राशि का उपयोग कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

धन का उद्देश्य: _____

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है।

स्थान: _____ दिनांक: _____

आवेदक का नाम: _____

हस्ताक्षर

स्थानीय भाषा की घोषणा

हिंदी में घोषणा:

मैं/हमने उपरोक्त खण्डों तथा महत्वपूर्ण कर्म समझौते को पढ़ लिया है और समझा दिया गया है। इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में भरा गया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्विकत मुदिए गए करारनामी और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खण्डों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयवस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किये हैं।

मराठी में घोषणा:

संपूर्ण करार माझ्या/आमच्या उपस्थितीत भरला गेला आहे हे मी/आम्ही वाचले/समजले केले आहे - मला/आम्ही केलेल्या कर्ज अजित मी/आम्ही भरलेल्या सर्व अटी आणि तपशीलांच्या संदर्भात स्वतः चे समाधान केल्यानंतरच बँक या कराराचा पक्ष बनण्यास सहमत आहे/ते याची मला/आम्हाला जाणीव आहे.

गुजराती में घोषणा:

મે/અમે ઉપરોક્ત કલ્મો અને મહત્વપૂર્ણ લોન કરાર વાંચ્યા અને સમજી લીધા છે આ મારી/અમારી હાજરીમાં ભરવામાં આવે છે. હું/અમે આ મહત્વપૂર્ણ વિગત સહિત તમામ નિયમો અને શરતો પાલન કરવા બંધાયેલો રહ્યો/શું. ઉપરોક્ત અને અન્ય દસ્તાવેજોમાં સ્થાવિષ્ટ કરાર: મને/અમને સ્ત્રીજ્ઞ ભવી ભાષામાં જણાવવામાં આવ્યો છે અને હું/અમે વિવિધ કલ્મોનો સંપૂર્ણ અર્થ સમજા ગઈ છીએ. ઋણ લેનારાઓએ આ કરારની સમગ્રીને ચકાસ્યા અને સમજ્યા પછી હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

तमिल में घोषणा:

எனது/எங்கள் முன்னிலையில் முழு ஒப்பந்தமும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதை நான்/நாங்கள் படித்தோம். அது தொடர்பாக எனக்கு/எங்களுக்கு விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்/நாங்கள் செய்த கடன் விண்ணப்பத்தில் நான்/நாங்கள் பூர்த்தி செய்த அனைத்து நிபந்தனைகள் மற்றும் விவரங்கள் குறித்து நான் திருப்தியடைந்த பின்னரே வங்கி இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒரு தரப்பினராக ஒப்புக்கொள்கிறது என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவோம்.

तेलुगु में घोषणा:

నా/మా సమక్షములో నింపబడిన మొత్తం అంగీకారపత్రాన్ని నేను/మేము చదువుకున్నాము / చదివి వివరించగలము. మారిన/మా చేయబడిన లోన్ ధరఖాస్తు లో నా/మా చే నింపబడిన వరకులు మరియు వివరాలను అనుమతికి సంబంధించి తనకు తానుగా సంతృప్తి చెందిన తర్వాత మాత్రమే ఈ అంగీకార పత్రానికి ఒక పక్షముగా అంగీకరించినప్పుడు.

आवेदक के हस्ताक्षर _____

सह-आवेदक के हस्ताक्षर _____

एफएटीसीए- सीआरएस घोषणा

कृपया लागू कर निवासी घोषणा (कोई भी)* पर टिक करें

☐ मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ या ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों का कर निवासी हूँ:
 कृपया उस देश/देशों को इंगित करें जिसमें व्यक्ति कर उद्देश्यों के लिए निवासी है और नीचे संबंधित टैक्स आईडी नंबर बताएं: _____

जन्म की तारीख _____ जन्म का शहर _____ जन्म का देश _____ भारत _____

भूक्षेत्र#	कर पहचान संख्या %	पहचान प्रकार (टिन, अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें) %	कर उद्देश्य के लिए पता
			संचार पता/स्थायी पता कृपया नीचे दिए गए पते पर ध्यान दें
एनए	एनए	एनए	
एनए	एनए	एनए	

यूएसए को भी शामिल करने के लिए, जहां व्यक्ति यूएसए का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है

यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करें

1 अनुमेय दस्तावेज हैं (ए) पासपोर्ट (बी) पैन कार्ड (सी) आईडी कार्ड (डी)। ड्राइविंग लाइसेंस (ई) यूआईडीएआई कार्ड (च) नरेगा जॉब कार्ड (छ) अन्य

FATCA-CRS नियम और शर्तें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1962 के हिस्से के रूप में 7 अगस्त 2015 को नियम 114एफ से 114एच को अधिसूचित किया है, जिसके नियमों के अनुसार बैंक जैसे भारतीय वित्तीय संस्थानों को हमारे सभी खाताधारकों से अतिरिक्त व्यक्तिगत, कर और लाभकारी स्वामी की जानकारी और कुछ प्रमाणन और दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक मामलों में, खाते से उचित रोक या उसके संबंध में किसी भी आय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर अधिकारियों/नियुक्त एजेंसियों/विद्वहोलिंग एजेंटों को सूचना देनी होगी। यदि आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी में कोई बदलाव होता है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमें तुरंत सलाह दें, यानी 30 दिनों के भीतर। यदि आपके पास अपने कर निवास के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने कर सलाहकार से संपर्क करें। यदि आप एक अमेरिकी नागरिक या निवासी या ग्रीनकार्ड धारक हैं, तो कृपया अपने यूएस टैक्स \$ पहचान संख्या के साथ विदेशी देश की सूचना क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करें। यदि आप जिस देश में कर निवासी हैं तो टिन या कार्यात्मक समकक्ष की आपूर्ति करना अनिवार्य है

FATCA- CRS प्रमाणन

मैंने एफएटीसीए/सीआरएस निर्देशों और नियम और शर्तों की सूचना आवश्यकताओं को समझ लिया है और इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि इस फॉर्म पर मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और इसके द्वारा इसे स्वीकार करते हैं।

ग्राहक का नाम 1 _____

ग्राहक का नाम 2 _____

ग्राहक का सीआरएन 1 _____

ग्राहक का सीआरएन 2 _____

ग्राहक के हस्ताक्षर 1 _____

ग्राहक 2 के हस्ताक्षर _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

परिशिष्ट

जिन-जिन व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए यह संबंधित हो

यह पुष्टि करने के लिए है कि मैंने/हमने मुझे/हमें दिनांक _____ के स्वीकृति पत्र के माध्यम से स्वीकृत क्रेडिट सुविधा के संदर्भ में, नीचे उल्लिखित खाते के संचालन के अंतर्गत देय राशियों, देय तिथियों तथा हमारे उधारकर्ता खातों को SMA/NPA के रूप में वर्गीकृत किए जाने से संबंधित अवधारणाओं को समझ लिया है।

परिभाषाएँ: बकाया:

ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/कोई भी प्रभार जो ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय होते हैं।

ओवरड्यू:

ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/कोई भी प्रभार जो देय हैं लेकिन ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर नहीं किया जाता है।

उधारकर्ता खाते में भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (फीफो) के सिद्धांत की प्रासंगिकता:

फीफो का सिद्धांत अर्थात् 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति संख्या पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक है। एसएमए/एनपीए स्थिति का निर्धारण करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या। फीफो सिद्धांत मानता है कि ऋण खाते में सबसे पुराने बकाया को पहले चुकाने की आवश्यकता है। इस प्रकार फीफो पद्धति के लिए आवश्यक है कि जो पहले देय है उसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि 01.02.2021 तक किसी भी ऋण खाते में कोई अतिदेय नहीं है और मूल किस्त/ब्याज/शुल्क के भुगतान के लिए X रुपये की राशि देय है, तो 01.02.2021 को या उसके बाद ऋण खाते में जमा किए जा रहे किसी भी भुगतान का उपयोग 01.02.2021 को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

यह मानते हुए कि फरवरी के महीने के दौरान कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है/या बकाया राशि का आंशिक भुगतान (वर्ष Y) है, 01.03.2021 को अतिदेय राशि 1.03.2021 रुपये होगी। एक्स-वाई। इसके अतिरिक्त, 01.03.2021 को रु.जेड की राशि देय हो जाती है, अब 01.03.2021 को या उसके बाद खाते में किसी भी भुगतान/आंशिक भुगतान का उपयोग पहले 01.02.2021 के आंशिक देय भुगतान के लिए किया जाएगा (X - रु Y) यदि X - रु Y से अधिक वसूली होती है, तो 01.02.2021 की बकाया राशि की वसूली के बाद, शेष राशि को 01.03.2021 की देय राशि के रूप में माना जाएगा।

सबसे पुराने बकाया की आयु:

सबसे पुराने बकाया की आयु की गणना उस तारीख से दिनों में की जाती है, जिस दिन सबसे पुराना भुगतान देय है और इसका भुगतान नहीं किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में, यदि 1 फरवरी 2021 से संबंधित बकाया राशि 01.03.2021 तक अवैतनिक रहती है, तो सबसे पुराने बकाया राशि की आयु 02.03.2021 को 29 दिन मानी जाती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA):

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहां सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण

ऋणदाता संस्थाएं ऋण खातों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव को तुरंत पहचानेंगे। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार होगा:

सावधि ऋण की प्रकृति में ऋण	
एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

देरी/बकाया राशि का भुगतान न करने और बाद में दिन के अंत की प्रक्रिया में मानक श्रेणी में उन्नयन के आधार पर एसएमए श्रेणी में एक खाते का एनपीए श्रेणी में परिवर्तन:

भुगतान की देय तिथि	भुगतान तिथि	भुगतान कवर	सबसे पुराने बकाया की आयु (दिनों में)	एसएमए/एनपीए वर्गीकरण	SMA प्रारंभ तिथि / SMA श्रेणी तिथि	एनपीए वर्गीकरण	एनपीए तिथि
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022 तक की पूरी बकाया राशि	0	शून्य	एनए	एनए	एनए
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया	1	एसएमए-0	01.02.2022	एनए	एनए
01.02.2022	02.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया	2	एसएमए-0	01.02.2022	एनए	एनए
01.03.2022		01.02.2022 की बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया, 01.03.2022 का भुगतान भी 01.03.2022 के दिन की समाप्ति (EOD) तक देय हो गया	29	एसएमए-0	01.02.2022	एनए	एनए

01.01.2022	01.01.2022	01.02.2022 का बकाया पूर्ण रूप से चुकाया गया, परन्तु 01.03.2022 का देय भुगतान 01.03.2022 के EOD तक नहीं किया गया	1	एसएमए-0	01.03.2022	एनए	एनए
		01.02.2022 एवं 01.03.2022 के संपूर्ण बकाये का भुगतान 03.03.2022 के EOD तक नहीं किया गया	31	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	एनए	एनए
		01.02.2022 का बकाया पूर्ण रूप से चुकाया गया, परन्तु 01.03.2022 का बकाया 01.03.2022 के EOD तक पूर्ण रूप से नहीं चुकाया गया	1	एसएमए-0	03.03.2022	एनए	एनए
01.04.2022		01.02.2022, 01.03.2022 तथा 01.04.2022 को देय राशि का भुगतान 01.04.2022 के EO तक नहीं किया गया	60	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	एनए	एनए
		01.02.2022 के बकाये का भुगतान 02.04.2022 के EOD तक नहीं किया गया	61	एसएमए-2	01.02.2022 / 02.04.2022	एनए	एनए
01.05.2022		01.02.2022 के बकाये का भुगतान 01.05.2022 के EOD तक नहीं किया गया	90	एसएमए-2	01.02.2022 / 02.04.2022	एनए	एनए
		01.02.2022 के बकाये का भुगतान 01.05.2022 के EOD तक नहीं किया गया	91	एनपीए	एनए	एनपीए	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	01.02.2022 का संपूर्ण बकाया 01.06.2022 के EOD तक चुका दिया गया	93	एनपीए	एनए	एनपीए	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	01.03.2022 एवं 01.04.2022 के संपूर्ण बकाये का भुगतान 01.07.2022 के EOD तक किया गया	62	एनपीए	एनए	एनपीए	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	01.05.2022 एवं 01.06.2022 के संपूर्ण बकाये का भुगतान 01.08.2022 के EOD तक किया गया	32	एनपीए	एनए	एनपीए	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	01.07.2022 एवं 01.08.2022 के संपूर्ण बकाये का भुगतान 01.09.2022 के EOD तक किया गया	1	एनपीए	एनए	एनपीए	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	कोई बकाया शेष नहीं	1	बिना किसी अतिदेय के मानक खाता	एनए	एनपीए	01.10.2022 से एसटीडी

मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपर्युक्त कुछ उदाहरण उदाहरणात्मक हैं और सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाले प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं, और यह कि, ऊपर उल्लिखित विषयों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण मान्य होंगे।

मैं/हम एतद्वारा केएफएस (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता) सहित स्वीकृति पत्र में नियम एवं शर्तों की अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं

विवरण	पूरा नाम	पता	दस्तखत	तारीख	स्थान
कर्जदार					
सह-उधारकर्ता - 1					
सह-उधारकर्ता- 2					

संवितरण अनुसूची

आवेदन आईडी		स्वीकृति तिथि	
उत्पाद कोड	4244	शाखा	
आवेदक का नाम		सीआईएफ आईडी	
सह-ऐप का नाम		सीआईएफ आईडी	
ऋण राशि		कार्यकाल (महीनों में)	
आरओआई	24%	चुकोती की तारीख	
प्रोसेसिंग शुल्क	रु. (ऋण का 1% एएमटी + जीएसटी)	बीमा राशि	
शुद्ध संवितरण राशि	रु.		
बैंक खाता ऋण लेने वाले का विवरण जिसमें राशि जमा की जानी है	ग्राहक का नाम- _____ बैंक का नाम- _____ खाता संख्या- _____ आईएफएससी कोड- _____ शाखा का नाम- _____		
सेक्टर कोड	कृषि	उप क्षेत्र	एएलआई (संबद्ध गतिविधि)
उधारकर्ता श्रेणी कोड		उधारकर्ता श्रेणी	
कमजोर वर्ग		अग्रिम का उद्देश्य	

*पहला पुनर्भुगतान महीना संवितरण तिथि के अनुसार अलग-अलग होगा। यदि मामला महीने की 16 से 31 तारीख तक वितरित किया जाता है, तो पहली पुनर्भुगतान तिथि अगले महीने के अगले महीने होगी।

बीमा सहमति पत्र

मैं इसके द्वारा अनुरोध करता हूँ और एक उपयुक्त बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देता हूँ।

☐ क्रेडिट लिंकड इश्योरेंस – आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस

☐ होस्पी-कैश*

बीमा पॉलिसी विवरण:

बीमा प्रकार	क्रेडिट लिंकड इश्योरेंस	होस्पी-कैश
बीमा शुरू होने की तारीख		
बीमा की समाप्ति तिथि		
सम एश्योर्ड		
प्रीमियम राशि		
पॉलिसी अवधि		

विवरण	पूरा नाम	जन्म तिथि	सदस्य 1 के साथ संबंध
सदस्य 1			स्वयं
सदस्य 2			
नॉमिनी			
नियुक्तकर्ता*			

*यदि नामांकित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है, तो नियुक्ति अनिवार्य है। नियुक्त व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

मैं समूह के आयोजक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपनी ओर से सर्विसिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मुझे पता है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ग्रुप माइक्रो इश्योरेंस उत्पाद के लिए बीमा कंपनी द्वारा जारी जीवन बीमा मास्टर पॉलिसी का मास्टर पॉलिसी धारक है और मैं इस समूह का सदस्य हूँ। मैं पुष्टि करता हूँ कि प्रीमियम राशि का भुगतान मेरे ऋण/बैंक खाते से किया गया है।

असाइनमेंट की सूचना:

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मुझे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण प्राप्त हुआ है। उक्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए, मैंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की मास्टर बीमा पॉलिसी के तहत जीवन बीमा कवर का लाभ उठाया है। मैं एतद्वारा उक्त जीवन बीमा कवर के अपने अधिकारों और लाभों को इसके जारी होने के बाद, आकस्मिक घटना के घटित होने की तारीख को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय ऋण अनुसूची के अनुसार बकाया ऋण राशि की सीमा तक प्रदान करता हूँ। यह समनुदेशन इस असाइनमेंट के नियमों और शर्तों और समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 द्वारा शासित होगा। मैं एतद्वारा सहमत हूँ और पुष्टि करता हूँ कि मैं अपने लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को इस असाइनमेंट के अस्तित्व के बारे में सूचित करूंगा।

मृत्यु के मामले में, क्रेडिट लिंकड बीमा दावा निपटान राशि (यदि लागू हो) बैंक द्वारा सीधे ऋण खाते में जमा की जाएगी। ऋण समायोजन के बाद किसी भी शेष राशि का भुगतान आवेदक के नामांकित व्यक्तियों को किया जाएगा।

"मैं मास्टर पॉलिसीधारक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को पॉलिसी से संबंधित उद्देश्यों के लिए बीमाकर्ता के साथ अपने जनसांख्यिकीय और बैंक खाते के विवरण साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

सदस्य 1 के हस्ताक्षर: _____

सदस्य का नाम: _____

सदस्य 2 के हस्ताक्षर: _____

सदस्य 2 का नाम: _____

पुनर्भुगतान अनुसूची (यह एक अस्थायी पुनर्भुगतान अनुसूची है*)

स्वीकृति तिथि (_____)	किस्त की देय तिथि	किस्त (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में)	उत्कृष्ट प्रिंसिपल (रुपये में)